



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/निदे. /एसई./एफि /2020

06.05.2020

अधिसूचना

ऑनलाइन विधि के माध्यम से कौशल विषयों को शुरू करने हेतु संबद्धता / अनुमोदन शुल्क के भुगतान

इस कार्यालय के परिपत्र सं. शैक्षणिक-25/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 की निरंतरता में कौशल विषयों को शुरू करने और बाद में कई संबद्ध स्कूलों से प्राप्त अनुरोध के संबंध में, बोर्ड ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कौशल विषयों के लिए अनुमोदन शुल्क स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन विधि में भुगतान करने के लिए स्कूल निम्नलिखित विवरण दर्ज कर सकते हैं :

➤ ग्राहक का नाम / खाता धारक :	सचिव सीबीएसई
➤ खाता सं. :	50100023037695
➤ आईएफएससी कोड :	HDFC0000120
➤ स्विफ्ट कोड :	HDFCINBB
➤ शाखा का नाम :	विकास मार्ग
➤ शहर :	दिल्ली

इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त खाते में अनुमोदन शुल्क जमा करें और 30 जून, 2020 के पहले गूगल फॉर्म : <https://forms.gle/eejurTaPDUtD4kuw8> का उपयोग करते हुए कौशल विषयों की पेशकश करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरें।

Bhaskar Singh

(डॉ. बिस्वजीत साहा)

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)

अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्कूलों में सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को प्रति प्रेषित :

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, दिल्ली -110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर -62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा 201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

‘शिक्षा सदन’, 17 , राऊज़ एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110002
‘Shiksha Sadan’, 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



4. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस (स्कूल्स), संघ राज्य सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
6. स्कूली शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 11
7. शिक्षा निदेशक, ए और एन द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
9. अपर महानिदेशक, सेना शिक्षा, ए - विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली -110001
10. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं. 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट -110010
11. इस परिपत्र को सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों / क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुपालन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को भेजने का अनुरोध किया जाता है।
12. बोर्ड के सभी निदेशकों / प्रमुखों / प्रभारी, सीओई के पास सूचना के प्रसार के अनुरोध के साथ
13. सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / सहायक सचिव, सीबीएसई
14. इस परिपत्र को सीबीएसई अकादमिक वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ प्रभारी आईटी इकाई
15. जनसंपर्क अधिकारी, सीबीएसई
16. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
17. सचिव, सीबीएसई के एसपीएस
18. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के एसपीएस
19. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीबीएसई के एसपीएस
20. निदेशक (सीटीईटी) के एसपीएस
21. निदेशक (एडुसैट) के एसपीएस
22. निदेशक (अकादमिक) सीबीएसई के एसपीएस
23. निदेशक (व्यावसायिक परीक्षा), सीबीएसई के एसपीएस
24. निदेशक (कौशल शिक्षा), सीबीएसई के एसपीएस

Biswajit Saha

(डॉ. बिस्वजीत साहा)

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)



‘शिक्षा सदन’, 17, राऊज़ एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110002
‘Shiksha Sadan’, 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002

